उत्तराखण्ड सरकार
निर्वाचन विभाग

संख्या– 412 /XXV – 8 – 1 (3) / 2009

दिनांकः देहरादून 29 जुलाई, 2011

निविदा सूचना

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बूथ लेबिल आफिसरों (बीएलओ) के माध्यम से निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न कार्यों के सफल सम्पादन हेतु बीएलओ को प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की लेखन सामग्री, प्रपत्र एवं रजिस्टर आदि के रख–रखाव के लिए बीएलओ के प्रयोगार्थ **कैन्वस बैग** क्रय किए जाने के लिए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में कार्य की महत्ता, तात्कालिकता एवं समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए **दिनांक 18 अगस्त, 2011 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है, जिन्हें उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे** निविदा समिति द्वारा उपस्थित निविदा–दाताओं के सम्मुख खोला जायेगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत किए जाने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा। निविदा के लिए निर्धारित नियम–शर्तो के अनुसार इच्छुक निविदा–दाता द्वारा अपनी मोहरबन्द निविदा **मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, कक्ष संख्या–15 उत्तरी ब्लाक 04–सुभाष रोड़ सचिवालय** देहरादून में प्रस्तुत की जा सकती हैं। निविदा फार्म किसी भी कार्यदिवस और कार्यालय समयान्तर्गत **दिनांक 16 अगस्त, 2011 को अपरान्ह 4.00 बजे तक** उल्लिखित कार्यालय से **₹ 500+75 VAT कुल 575.00 (पॉच सौ पिचहत्तर)** के नकद भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के सम्बन्ध में निर्धारित नियम/शर्ते संलग्न है। निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट http:/ceo.uk.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है। वेबसाईट से निविदा फार्म डाउनलोड करने पर **₹ 575.00 (पॉच सौ पिचहत्तर)** का बैंक ड्राफ्ट जिसे **"मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड"** के पदनाम तैयार किया गया हो तथा एस0बी0आ0ई शाखा सचिवालय देहरादून में देय हो, निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न करना होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून उत्तराखण्ड

(सौजन्या)
अपर सचिव एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बूथ लेबिल आफिसरों के प्रयोजन हेतु कैन्वस बैग (लैपटॉप बैग के समरूप) क्रय किए जाने के लिए निविदा हेतु आवश्यक निर्देश–शर्तें।

1– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में दो प्रस्ताव निविदा प्रणाली के आधार पर **दिनांक 10 अगस्त, 2011 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक** मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उक्त नियत तिथि एवं समय तक निविदाएं स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से **कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, कक्ष संख्या–15 उत्तरी ब्लाक, 4–सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर देहरादून** में प्रेषित/प्रस्तुत की जा सकती हैं /निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त किसी भी निविदा/निविदाओं को निविदा के रूप में प्राप्त/स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा फार्म दिनांक 16 अगस्त, 2011 को अपरान्ह 4.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस और कार्यालय समय पर निर्धारित नकद मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है।

2– उक्त नियत तिथि एवं समय तक प्राप्त सभी निविदाओं को निविदा समिति के द्वारा उपस्थित निविदा–दाताओं के सम्मुख **उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे सचिवालय परिसर स्थित सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा।** निविदा खोले जाने हेतु निर्धारित तिथि और समय पर कदाचित किसी निविदा–दाता/निविदा–दाताओं की अनुपस्थिति को समिति के द्वारा नजरअंदाज किया जायेगा तथा समिति के अध्यक्ष के निर्देशन में निविदा खोले जाने की प्रक्रिया को नियत समय पर प्रारम्भ पर प्रक्रिया को निरन्तर सम्पादित कर सम्पन्न किया जायेगा। अन्य तकनीकी अर्हताओं के साथ कैन्वस बैग के नमूने की गुणवत्ता के अनुसार भी निर्णय लिया जायेगा।

3– निविदा–दाता फर्म/कम्पनी/साझेदार अथवा व्यक्तिगत आदि का व्यापार कर एवं आयकर विभाग में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। व्यापार कर/आयकर विभाग में रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी अभिलेखों की सत्यापित छाया प्रति, जिसमें पैन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति भी हो, उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।

4– निर्वाचन विभाग अथवा अन्य किसी सरकारी विभाग में आपूर्ति के सफलतापूर्वक सम्पन्न करने संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

5– समान प्रकृति के अथवा विभिन्न सरकारी विभागों में विभिन्न प्रकार की सामग्री आपूर्ति से संबंधित विगत तीन वर्षों में **(वित्तीय वर्ष–2007–08, 2008–09 एवं 2009–10)** प्रत्येक वर्ष में कम से कम ₹ 50.00 लाख (पच्चास लाख) का वार्षिक टर्न ओवर होना चाहिए। वित्तीय वर्षवार टर्नओवर से संबंधित बैलेंस शीट/पी0 एल0 एकाउन्ट जिसे सी0ए0 के द्वारा सम्प्रीक्षित किया गया हो, की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

6– उक्त तीनों वित्तीय वर्ष में से किसी भी एक वित्तीय वर्ष में एक समय में कम से कम रूपये 15.00 लाख तक की एकमुश्त आपूर्ति हेतु संबंधित आपूर्ति आदेश की प्रमाणित छाया प्रति एवं गुणवत्तायुक्त सन्तोषजनक आपूर्ति के पश्चात भुगतान से संबंधित अभिलेख/अभिलेखों

मुख्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून उत्तराखण्ड

क्रमशः–2 पर

(बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चैक आदि) की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

7— निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म/कम्पनी/साझेदार अथवा व्यक्तिगत आदि को भारत सरकार / राज्य सरकार से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। फर्म/कम्पनी/साझेदार अथवा व्यक्तिगत आदि को 10.00 रूपये के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म/कम्पनी/साझेदार अथवा व्यक्तिगत आदि ब्लेक लिस्टेड नहीं है। शपथ–पत्र नोटरी के समक्ष अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।

8— फर्म/कम्पनी/साझेदार अथवा व्यक्तिगत आदि को आयकर एवं अन्य किसी भी कर जो भी देय हों, का बकायादार/देनदार नहीं होना चाहिए। वित्तीय वर्ष–2009–10 तक जमा आयकर रिटर्न से संबंधित रसीद/अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

9— निविदा के साथ धरोहर के रूप में रूपये–75,000.00 (रूपये पिचहत्तर हजार) मात्र की धनराशि बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, बैंक गारण्टी या सावधि जमा रसीद जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो तथा **मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड** (Chief Electoral Officer Uttarakhand) के पक्ष में तैयार किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10— निविदा के साथ प्रस्तर–9 के अनुसार अपेक्षित धरोहर की धनराशि अपेक्षानुरूप प्रस्तुत न करने पर निविदा मान्य नहीं होगी। तकनीकी निविदा Annexure A के साथ सभी अपेक्षित प्रमाण पत्र रखे जायेंगे। वित्तीय निविदा पृथक लिफाफे पर होंगी तद्नन्तर इन्हें एक लिफाफे में रखा जायेगा।

11— नियमानुसार तकनीकी निविदा में अर्ह पाई गई फर्म/कम्पनी/साझेदार अथवा व्यक्तिगत आदि की वित्तीय निविदा को ही खोला जायेगा। वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात जिस फर्म आदि को न्यूनत्तम निविदा के आधार पर एल0–01 की श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा ऐसी किसी भी फर्म/कम्पनी/साझेदार अथवा व्यक्तिगत आदि को उनके द्वारा प्रस्तुत न्यूनत्तम दर के आधार पर आगणित धनराशि का 10 प्रतिशत की धनराशि बिलम्बत्तम दिनांक 20 अगस्त, 2011 को अपरान्ह 1.00 बजे तक उक्त प्रस्तर–9 में अपेक्षित रीति से जमानत के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। फर्म आदि के लिखित अनुरोध पर उसकी धरोहर की धनराशि को जमानत की धनराशि में समाहित/प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

12— यदि वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात निविदा समिति के द्वारा एल0–01 में वर्गीकृत फर्म/कम्पनी/साझेदार अथवा व्यक्तिगत आदि के द्वारा कदाचित उन्हें निविदा प्रक्रिया से बाहर करने के लिखित/मौखिक अनुरोध की दशा में, या निर्धारित तिथि, समय तक अपेक्षित रीति से जमानत की धनराशि जमा न करने, या किसी भी प्रकार से निविदा प्रक्रिया से विमुख होने/सम्मिलित होने पर असमर्थता व्यक्त करने की दशा में उसकी धरोहर की धनराशि जब्त

मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून

क्रमशः—3 पर

कर ली जायेगी।

13— निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर एल0–01 में वर्गीकृत फर्म/कम्पनी/साझेदार अथवा व्यक्तिगत आदि द्वारा नियत तिथि तक अपेक्षित माप/मात्रा/गुणवत्ता के साथ कैन्वस बैगों की आपूर्ति न करने पर संबंधित फर्म की जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और फर्म को नियमानुसार ब्लेक लिस्टेड कर लिया जायेगा।

14— निर्वाचन विभाग को लगभग 10000 (दस हजार) कैन्वस बैगों की आवश्यकता है और उक्त संख्या घट–बढ़ सकती है। एल0–01 में वगीकृत फर्म/कम्पनी/साझेदार अथवा व्यक्तिगत आदि के द्वारा कैन्वस बैगों की आपूर्ति जिला निर्वाचन कार्यालयों (13 जनपद) के भण्डार कक्ष तक सुनिश्चित की जायेगी जिसके लिए उन्हें अलग से कोई किराया–भाड़ा, लोडिंग–अनलोडिंग आदि देय नहीं होगा।

15— फैक्ट्री/कम्पनी आदि से गन्तव्य तक ट्रॉसपोर्टेशन, लोडिंग–अनलोडिंग या अन्य किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा और इस हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा या क्षतिपूर्ति स्वीकार नहीं की जायेगी फर्म/कम्पनी/साझेदार अथवा व्यक्तिगत आदि उक्त के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

16— कैन्वस बैग का नमूना निविदा प्रकाशन होने की तिथि से दिनांक 16 अगस्त, 2011 तक किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय पर सचिवालय परिसर स्थित सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय कक्ष संख्या–15 उत्तरी ब्लाक में देखा जा सकता है। वित्तीय निविदा दर इसी नमूने के स्पेशिफिकेशन के अनुसार दी जाय।

17— निविदा के साथ एक अलग लिफाफे के अन्दर निर्धारित माप/गुणवत्ता के अनुरूप कैन्वस बैग का एक नमूना भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नमूने के रूप में प्रस्तुत कैन्वस बैग निविदा का ही एक हिस्सा होगा जिसे वापस करने या इसकी कोई कीमत अदा करने के लिए निविदा–दाता के द्वारा लिखित या मौखिक रूप से कभी भी कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

18— कार्यालय में उपलब्ध नमूने के अनुसार नमूने के रूप में प्रस्तुत/आपूर्ति किए जाने वाले कैन्वस बैग पर मुख्य भाग की ओर **निर्धारित रंगीन लोगो** सहित **"भारत निर्वाचन आयोग** Election Commission of India" चमकदार सफेद रंग में, **"बूथ लेबल आफिसर" "निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड"** चमकदार सफेद रंग में (निर्धारित रंगीन लोगो सहित) तथा कैन्वस बैग के मुख्य भाग की ओर नीचे **"मजबूत लोकतंत्र–सबकी भागीदारी"** "Greater Participation for a Stronger Democracy" चमकदार सफेद रंग में मुद्रित किया जायेगा।

19— अपेक्षित कैन्वस बैग जहॉ एक ओर वॉटर प्रूफ होना अनिवार्य है वहीं दूसरी ओर कैन्वस बैग पर मुद्रित विषय वस्तु पर प्रयुक्त कलर टिकाऊ, स्थिर, पानी/धूप/किसी भी प्रकार के तापमान से प्रतिरोधकारक होने चाहिए। पानी लगने /धूप/किसी भी प्रकार के तापमान से, कैन्वस बैग पर मुद्रित विषय वस्तु का कलर न तो फीका पड़ना चाहिए और न ही उसके आकार

क्रमशः–4 पर

मुख्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून उत्तराखण्ड

आदि में कोई सिकुड़न या फैलाव या बहाव होना चाहिए।

20— कैन्वस बैग का कपड़ा कार्यालय में उपलब्ध नमूने के अनुसार ब्लेक मैटी टाइप का कपड़ा उच्च गुणवता एवं Base-Lining वाटर प्रूफ होना चाहिए। कैन्वस बैग की लम्बाई 15"Xऊँचाई 12"X गहराई 4.5" होनी चाहिए। बैग की फ्रन्ट पॉकेट 4.5" गहराई के साथ–साथ उस पर उचित तरीके से फ्लेप/जिप लगी होनी चाहिए। इसी प्रकार बैग के समानान्तर बैकसाइट में भी 1.5" गहराई का एक अतिरिक्त पॉकेट होगा जिसे उचित तरीके से जिप लगी होनी चाहिए। कैन्वस बैग की भारक क्षमता कम से कम 15किग्रा0 की होनी चाहिए।

21— कैन्वस बैग की सिलाई पर प्रयुक्त धागा उच्चगुणवत्ता एवं बहुत अधिक मजबूत होना चाहिए। प्रत्येक कैन्वस बैग पर हाथ से कैरी करने के लिए दोहरी स्ट्रिप एवं कंधे से कैरी करने के लिए उच्च गुणवता की मजबूत एकल एडज्सेबल स्ट्रिप लगी होनी चाहिए।

22— नियमानुसार किसी भी फर्म/कम्पनी आदि की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात फर्म/कम्पनी आदि को 100.00 रूपये के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पर तत्काल अनुबन्ध करना होगा जिसकी विषय वस्तु से यथा समय अवगत करा दिया जायेगा।

23— मोहरबन्द निविदाएं **ए4 साईज** के एक लिफाफे में प्रस्तुत की जायेंगी, जिसके मुख्य आवरण के शीर्ष पर **"कैन्वस बैग की आपूर्ति हेतु निविदा"** स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। इस मुख्य लिफाफे के अन्दर दो अलग–अलग मोहरबन्द लिफाफे होंगे जिनमें से एक लिफाफे पर **"तकनीकी निविदा"** एवं दूसरे पर **"वित्तीय निविदा"** स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

24— **तकनीकी निविदा** सम्बन्धी लिफाफे के अन्दर निम्नलिखित अभिलेखों आदि की प्रमाणित छाया प्रति जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म/कम्पनी की मुहर भी लगी हो तथा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए हों Annexure-A पर सांराश सहित रखी होनी चाहिएः–

1–व्यापार कर/आयकर विभाग में रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी अभिलेख

2–पैन कार्ड

3–शासकीय विभागों में आपूर्ति सम्बन्धी अनुभव प्रमाण पत्र

4–अपेक्षित वित्तीय वर्षों की टर्नओवर से संबंधित सी0ए0द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंसशीट

5–ब्लेक लिस्टेड न होने का नोटरी के समक्ष तैयार शपथ–पत्र

6–विगत तीन वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में रूपये 15.00 लाख तक के एकमुश्त कार्यादेश की प्रति/सन्तोषजनक आपूर्ति के पश्चात भुगतान सम्बन्धी वांछित अभिलेख।

7– किसी भी कर जो भी देय हों, का बकायादार/देनदार नहीं होने, वित्तीय वर्ष–2009–10 तक जमा आयकर रिटर्न से संबंधित रसीद/अभिलेख।

8–धरोहर की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट आदि मूल रूप में।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून उत्तराखण्ड

क्रमशः–5 पर

9–निविदा हेतु निर्धारित नियम/शर्तों के इस अभिलेख की प्रमाणित छाया प्रति जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म/कम्पनी आदि की मुहर सहित अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए हों।

10–अन्य यदि कोई अभिलेख हों, फर्म/कम्पनी की मुहर अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर सहित।

11– कैन्वस बैग के नमूने का लिफाफा अलग से।

25– **वित्तीय निविदा** सम्बन्धी लिफाफे के अन्दर केवल Annexure-B जिस पर कैन्वस बैग आपूर्ति की दरें अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखी गई हो रखी होनी चाहिए। अन्य कोई भी सामग्री/अभिलेख वित्तीय निविदा सम्बन्धी लिफाफे के अन्दर न रखी जांय। वित्तीय निविदा में प्रस्तुत दर में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के टैक्स (Price including all taxes /गन्तव्य तक परिवहन, लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित) सम्मिलित होंगे। परिवहन के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई भी पत्र/प्रपत्र आदि निर्गत नहीं किया जायेगा।

26– **कैन्वस बैग** का नमूना एक अलग मोहरबन्द लिफाफे के अन्दर रखा होना चाहिए लिफाफे के बाहर से फर्म/कम्पनी का पठनीय पता सहित मुहर लगी हो एवं अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो तथा लिफाफे के बाहर से स्पष्ट रूप से **"कैन्वस बैग का नमूना"** लिखा गया हो, प्रस्तुत करना होगा। नमूने बैग पर विभाग द्वारा अपेक्षित मुद्रण की विषय वस्तु के अतिरिक्त अन्य कोई लेख/ लिखावट या फर्म का नाम अथवा किसी के हस्ताक्षर आदि कदापि नहीं होने चाहिए। निविदा समिति के द्वारा सर्व प्रथम बैग के नमूने से संबंधित लिफाफे को खोला जायेगा। जिन फर्मों के बैग का नमूना समिति के द्वारा अपेक्षानुरूप सही पाया जायेगा तत्पश्चात केवल उन्हीं फर्मो की तकनीकी निविदा संबंधी लिफाफे को खोला जायेगा। तकनीकी निविदा में अर्ह पाई गई फर्मों की ही वित्तीय निविदाएं खोली जायेगी।

27– कार्यापूर्ति आदेश के पश्चात फर्म/कम्पनी के द्वारा आपूर्ति किए गए कैन्वस बैग की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर कैन्वस बैग की निर्वाचन विभाग द्वारा सक्षम तकनीकी विभाग/कार्यालय/प्रयोगशाला से जॉच करवाई जा सकती है तथा जॉचोपरान्त गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित देयकों का न तो भुगतान किया जायेगा और न ही कैन्वस बैग वापस किए जायेंगे साथ–साथ जमानत की धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी जिसके लिए आपूर्तिकर्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार दण्डनीय कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति का दावा भी किया जा सकेगा।

28– निविदा शर्तों के अधीन सन्तोषजनक ढंग से आपूर्ति किए जाने के फलस्वरूप विभाग का समाधान हो जाने के पश्चात ही आपूर्तिकर्ता फर्म/कम्पनी आदि को एक माह पश्चात ही उनकी जमानत की धनराशि लौटाए जाने पर विचार किया जायेगा।

29– अनुबन्ध शर्तों के अनुसार निर्धारित माप/मात्रा एवं गुणवत्ता के साथ कैन्वस बैग

मुख्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून उत्तराखण्ड

क्रमशः–6 पर

की आपूर्ति किए जाने के पश्चात ही तद् विषयक देयकों के भुगतान पर विचार किया जायेगा। देयकों के साथ विभिन्न जिला निर्वाचन कार्यालयों को आपूर्ति किए गए कैन्वस बैग की प्राप्ति रसीद जिस पर प्राप्तकर्ता सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन कार्यालय के भण्डार सहायक द्वारा प्राप्त किए गए कैन्वस बैगों की कुल संख्या अंको/शब्दों में अंकित की गई हो तथा पूरे नाम/पदनाम /मुहर सहित हस्ताक्षर किए गए हों मूल रूप में प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

30— देयक की कुल धनराशि के सापेक्ष विभाग द्वारा नियमानुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जायेगी।

31— एल0–01 के रूप में वगीकृत फर्म/कम्पनी को कार्यापूर्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से कम से कम 15 दिन के पश्चात ही शेष अन्य फर्मों/कम्पनी आदि की धरोहर की धनराशि वापस की जायेगी।

32— आवश्यकता पड़ने पर निविदा की नियम/शर्तों में संशोधन/परिवर्तन करने का अधिकार सर्वाधिक सुरक्षित होगा।

33— किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सर्वाधिक सुरक्षित होगा। उक्त के संदर्भ में सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी का निर्णय सर्वमान्य होगा। सशर्त कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा के सम्बन्ध में न्यायाधिकार क्षेत्र देहरादून मुख्यालय होगा।

दिनांकः 29 जुलाई, 2011

मुख्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून उत्तराखण्ड

(सौम्या)
अपर सचिव एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Annexure-A

बीएलओ के प्रयोगार्थ निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा कैन्वस बैग क्रय किए जाने हेतु तकनीकी निविदा की अर्हता का सारांश प्रपत्र

1— फर्म का नामः—

2— फर्म का पता (टेलीफोन नम्बर/ई मेल पता सहित):—

3— फर्म का स्वरूप (एकल स्वयं/साझेदारी, यदि साझेदारी हो तो साझेदारी के पत्रजात):—

4— व्यापार कर पंजीकरण संख्याः—

5— आयकर पंजीकरण पैन नम्बरः—

6— शासकीय विभागों में आपूर्ति सम्बन्धी अनुभव विवरणः—

7— विगत तीन वर्षो का टर्नओवर

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष—2007—08	वित्तीय वर्ष—2008—09	वित्तीय वर्ष—2009—10

8— ब्लेक लिस्टेड/फर्म के विरूद्ध कोई शासकीय कार्यवाही होने की घोषणाः—

9— किसी भी शासकीय देयता की बकाया न होने तथा वर्ष—2009—10 तक जमा आयकर रिटर्न का विवरणः—

10— धरोहर की जमा राशि का विवरणः—

11— कैन्वस बैग के नमूने का लिफफाः—

12— अन्यः—

संलग्नकों की संख्याः—

निविदा—दाता की घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि, कैन्वस बैग कीं आपूर्ति के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा निविदा के लिए निर्धारित **प्रस्तर—1 से 33 तक** में उल्लिखित नियम/शर्तो को भली—भॉति से पढ़ व समझ लिया गया है और तत्पश्चात ही निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग किया जा रहा है। निविदा के लिए विभाग द्वारा नियत उपरोक्त नियम एवं शर्ते स्वीकार करते हुए यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निविदा की नियम/शर्तो का किसी भी प्रकार से अनुपालन न करने या उल्लंघन करने के लिए फर्म/कम्पनी आदि उत्तरदायी होगी।

हस्ताक्षर........................
पूरा नाम..
पूरा पता..
....
पैन/टैन नं0..
फोन/फैक्स नं0..
मोबा0नं0..

फर्म की मुहर यहां पर लगाई जाय।

गवाहः—

1— हस्ताक्षर..........................
पूरा नाम..........................
पूरा पता..............................
....
व्यवसाय..
कॉन्टेक्ट नम्बर..

2—हस्ताक्षर..............................
पूरा नाम..
पूरा पता..
....
व्यवसाय..
कॉन्टेक्ट नम्बर..

मुख्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून उत्तराखण्ड

ANNEXURE- B

TENDER FORM NO....................../ BLO BAG / CEOUK-2011

CANVAS BAG FOR ELECTION DEPARTMENT

Specifications of Canvas Bags	Quantity (Approx)	Sample required	Rate per Canvas Bag (including all Texes etc in figures & words-in rupees)
CANVAS BAGS **(Similar to Lap Top Bag)** **Size of Bag** Length 15" x Height 12" x Depth 4.5" Bag to be made of Superior Canvas with base-lining of water-proof stitched at each joint (with supporting strips) enough to carry around 15 kgs. material. Besides main pocket of bag having 4.5" each with proper locking flap / zippers Back side pocket must contain One additional separate portion with zipper. Each bag to have extra-strong strips for carrying by hand (Dual Strips) and carrying by shoulder (Single Strip) with smooth cushioned flap. Canvas bags shall have to be supplied duly printed on front side flapper with the matter to be provided by the concerned department.	10000	1 Bag (One Bag)	

Signature of the TENDERER with SEAL

Full Name...

Address...

....

....

Telephone...

Mobile No...